एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस) हेतु कार्मिक

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

एन. एस. एस. ओ

(फील्ड ऑपरेशन्स डिविजन)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पूर्वी खंड - 6,तल - 4 से 7,

रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली - 110066

सत्यमेव जयते

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयम मंत्रालय

एन. एस. एस. ओ

(फील्ड ऑपरेशन्स डिविजन)

पूर्वी खंड - 6, तल - 4 से 7,

आर. के .पुरम,

नई दिल्ली-110066

ई निविदा दस्तावेज़

एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हेतु कार्मिक

टेंडर जारी करने की तिथि : 04.11.2016

टेंडर जमा करने के लिए अंतिम तिथि एवं समय : 24.11.2016, 18:00 Hrs.

टेंडर खोलने की तिथि एवं समय :

(क) तकनीकी बोली : 25.11.2016, 15:00 Hrs.

(ख) तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली : 30.11.2016, 15:00 Hrs.

निविदा दस्तावेज़ की विषय सूची

क्रमांक	विषय की व्याख्या	पृषठ संखया
क	निविदा आमंत्रण ई-नोटिस	4-5
ख	खंड-1 : कार्य की परिधि तथा बोली कर्ताओं हेतु सामान्य निर्देश	6-9
ग	खंड-2: तकनीकी योग्यता मानदंड	10
घ	खंड-3: कार्य का विवरण एवं जनशक्ति तैनाती की आवश्यकता	11-13
ड.	खंड-4: निविदा के मूल्यांकन के लिए मानदंड	14
च	खंड-5: तकनीकी बोली के लिए प्रोफॉर्मा	15-19
छ	खंड-6: वित्तीय बोली के लिए प्रोफॉर्मा	20
ज	खंड-7: नियम और शर्ते	21-24
झ	खंड-8: तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची	25
	खंड-9: जनशक्ति की तैनाती से पहले सफल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	26

संख्या-एम-12011/13/पी एल एफ एस /एम एस /2016
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

पूर्वी खण्ड -6, तल 4 से 7,
आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066

निविदा आमंत्रण हेतु ई नोटिस

भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ) को उसके द्वारा संचालित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसके द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के वार्षिक आकलन जारी होंगे, हेतु विशुद्ध अनुबंध आधार पर द्विबोली प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित अनुभवी तथा वित्तीय रूप से समर्थ एजेंसियों से केंद्रीय लोक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) www.eprocure.gov.in के माध्यम से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। पूरे देश में **1 जनवरी, 2017** से सर्वेक्षण प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। विभिन्न श्रेणियों के लिए संभावित कर्मियों की आवश्यकता निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र अन्वेषक : 612, क्षेत्र अधिकारी : 45, प्रशासनिक स्टाफ : 58

2. सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य देश भर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों से संचालित किया जाएगा। उन कार्यालयों की सूची जहां संविदात्मक फील्ड कार्मिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिएआवश्यकता है, का विवरण क्रमश:अनुबंध-। तथा।।में मंत्रालय की वेबसाईट www.mospi.gov.in तथा www.eprocure.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक एजेंसियां जो वांछित कर्मियों की आपूर्ति करने में सक्षम हों, अपनी हर प्रकार से पूर्ण निविदाएं सरकारी / अर्ध सरकारी / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को की गई कर्मियों की आपूर्ति से संबंधित उनके प्रमाणित अनुभव, अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते है।

3. उपयुक्त पायी गई एजेंसी के साथ प्रारम्भ में अनुबन्ध कार्य आबंटन आदेश से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे उसी दर पर तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन पर अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक बढाया जा सकता है। संविदा की अवधि के दौरान सर्वेक्षण की आवश्यकता के अनुसार कर्मियों की आवश्यकता कम या अधिक हो सकती है।

4. कार्य की अनुमानित लागत 15,00,00,000/- (पंद्रह करोड रुपए है) ।

5. केंद्रीय क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ पंजीकृत एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य इच्छुक एजेंसियां हर प्रकार से पूर्ण अपने निविदा दस्तावेज, बिना ब्याज प्रतिदेय रुपये 30,00,000.00 (तीस लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि सहित, डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक के रूप में अथवा किसी भी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार्य रुप में बैंक गारंटी जो भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नई दिल्ली के पक्ष में आहरित हो अथवा भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नई दिल्ली के पक्ष में बंधक रखी गई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. निविदा मेंतकनीकी बोली के साथ ही वित्तीय बोली अलग-अलग शामिल होंगी। निविदा और प्रासंगिक दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in के साथ-साथ www.eprocure.gov.in पर भी देखे जा सकते है। **निविदाएं केवल www.eprocure.gov.in के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण मे अंकित निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जाए। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार्य नहीं है।** तथापि यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी हैकि वह यह सुनिश्चित करे कि बयाना जमा राशि मूल रूप में अथवा छूट प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि / दस्तावेज़ उप महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग के कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर पहुँच जाए:-

क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय)
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
पूर्वीखंड-6, तल - 4 से 7,
आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066

लिफाफे के शीर्ष पर "पी.एल.एफ.एस. के लिए कार्मिक प्रदान करने हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए ।

7。 निविदा के संबंध मे कोई भी अन्य जानकारी मंत्रालय की वैबसाइट एवं केन्द्रीय लोक प्रॉक्यूरमेंट पोर्टल पर जारी की जाएगी ।

8. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विद्या प्रकाश

(विद्या प्रकाश)
उप महानिदेशक
टेली:-011-26106821/26188581
ईमेल आईडी:e.tender.plfs@gmail.com

खंड-1: कार्य की परिधि एवं बोली कर्ताओं हेतु सामान्य निर्देश

1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केअधीनस्थराष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन. एस. एस. ओ) वर्षिक आधार पर सरकार की रुची के विभिन्न समाजार्थिक विषयों पर भारत भर में बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के संचालन के लिए सामान्यत: जिम्मेदार है। संगठन कृषि सांख्यिकी; वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ; मूल्य संग्रहण, आदि पर सर्वेक्षणों का संचालनभी करता है।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) द्वारा पूरे देश में फैले हुए स्थित इसके नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से चयनित प्रतिदर्शों का वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई पूछताछ अनुसूचियों के माध्यम से प्रतिदर्श आधार पर आंकडे एकत्र किये जाते हैं। क्षेत्र संकार्य प्रभाग का मुख्यालय नई दिल्ली और फरीदाबाद में स्थित है; 6 आंचलिक कार्यालय; 49 क्षेत्रीय कार्यालय, और; 118 उप-क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं।

3. समाजार्थिक सर्वेक्षण;मूल्य संग्रहण योजनाओं; नगरीय ढांचा सर्वेक्षण; आदि में आंकड़ा संग्रहण से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र कार्य भारत सरकार में अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिये जिम्मेदार सरकारी संगठन कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वाराचयनित किए गए कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा एकत्र आंकड़ों कापर्यवेक्षण कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के स्तर से पदोन्नत वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों तथा वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारीयों का समूह एस एसएस (अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवाएं) संवर्ग कहलाता है।सर्वेक्षण से संबन्धित तकनीकी कार्य के अलावा, प्रभाग का प्रशासनिक कार्य लिपिक/ सचिवीय कर्मियों जिन्हे लिपिक वर्गीय कर्मचारी कहा जाता है,द्वारा किया जाता है।

4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी. एल. एफ. एस), 1 जनवरी, 2017 से देश भर में शुरू होनेजा रहा है। यह एक घरेलू प्रतिदर्श सर्वेक्षण है जिसमें ग्रामीण तथा नगरीय परिवारों के चयनित उत्तरदाताओं से हस्त यंत्र (hand-held device) अर्थात टेबलेट **(एन. एस. एस. ओ द्वारा प्रदत)** का प्रयोग करके आंकडे संग्रहीत किए जाएंगे। इस सर्वेक्षणके लिये आंकडे संग्रहण का क्षेत्र कार्य,पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक सहायता संविदा आधारित कर्मचारियों अर्थात क्षेत्र अन्वेषक, क्षेत्र अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारीयों द्वारा कराए जाने की योजना है। क्षेत्र कार्यों अर्थात आंकडों के संग्रहण /पर्यवेक्षण/प्रशासनिक सहायता आदि को समयानुसार पूर्ण करने के उद्देश्य से एन. एस. एस. ओअपेक्षित शैक्षिक योग्यता, आयु वाले कर्मियों को एक निश्चित अवधि के लिये पुर्णतया संविदा आधार पर रखना चाहता है। कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों/प्राथमिक कर्मचारियों के स्थान पर संविदा आधार पर लगाए गये कर्मियों को "क्षेत्र अन्वेषक" नाम दिया गया है तथा पर्यवेक्षिकीय कर्मचारियें के स्थान पर लगाए गये कर्मियों को "क्षेत्र अधिकारी" का नाम दिया गया है। लिपिकीय/अनुसचिवीय कर्मचारीयों का कार्यकरने वाले संविदा आधार पर रखे गये कर्मियों को "प्रशासनिक कर्मचारी" कहा जाएगा।

5. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अखिल भारतीय सर्वेक्षण है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणकार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को संलग्नक -1 पर क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचीनुसार कर्मी उपलब्ध कराई जाएंगे। क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय) अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्दर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध कराये गए कर्मियों की सेवाओं का उपयोग करेंगे।

6. आवश्यक श्रेणियों में उपयुक्त कर्मियों को उपलब्ध कराने केलिये आरम्भ में एजेंसी के साथ 1 जनवरी,2017एक वर्ष का अनुबंध होगा, जिसे कार्य के मूल्यांकन के आधार पर पाँच वर्ष के लिये बढाया जा

सकता है। तथापि सेवा मे कमी, तैनात कर्मियों की घटिया गुणवत्ता, सविदा भंग आदिकी स्थिति मे एन. एस. एस. ओ किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर करार को समाप्त करने/ अवधि घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. एन. एस. एस. ओ कोआरंभ मे खंड - 3 "तैनाती हेतु कर्मियों के लिए तकनीकी आवश्यकता" मे उल्लेखित संख्यानुसार कर्मियों की आवश्यकता है , जो कि संविदा अवधि के दौरानसर्वेक्षण की आवश्यकता के आधार परघट/बढ़ सकती है।

8. इच्छुक एजेंसियांजो कि केंद्रीय क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं, को छोड़ कर, सभी प्रकार से पूर्ण अपने निविदा दस्तावेज भुगतान एवं लेखा अधिकारी,साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में बिना ब्याज के वापस किये जाने योग्य रुपये 30,00,000.00(तीस लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चेक या किसी भी वाणिज्यक बैंक से स्वीकार्य रुप में बैंक गारंटीयाभुगतान एवं लेखा अधिकारी ,साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में मालबंधित (hypothecated) प्रस्तुत कर सकती हैं।

9. निविदा में तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय बोलियां अलग -अलग शामिल होंगी। निविदा और प्रासंगिक दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in, साथ ही www.eprocure.gov.in पर देखेजा सकते हैं। **निविदाएं केवल www.eprocure.gov.in के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण मे अंकित निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जाए। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार्य नहीं है।**तथापि यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी हैकि वह यह सुनिश्चित करे कि बयाना जमा राशि मूल रूप में अथवा छूट प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि / दस्तावेज़ उप महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग के कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर पहुँच जाए:-

क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय)
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
पूर्वीखंड-6, तल - 4 से 7,
आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066

10. 'आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण हेतु कार्मिकों की आपूर्ति के लिए निविदा' से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

क	निविदा आमंत्रित (एनआईटी) करने की ई नोटिस के प्रकाशन की तिथि	04.11.2016
ख	बोली पूर्व कॉनफ्रेस: तिथि, समय ओर स्थान	16.11.2016, 15:00 Hrs. to 17:00 Hrs सम्मेलन कक्ष, पूर्वी खंड - 6, ताल - 5, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) मुख्यालय, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली - 110066

ग	एन आई टी पर स्पष्टीकरण के लिये अंतिम तिथि	18.11.2016
घ	ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय (केवल www.eprocure.gov.in के माध्यम से)	24.11.2016, 18:00 Hrs.
ड	बोली खोलने के लिये तिथि और समय तकनीकी बोली वित्तीय बोली	 25.11.2016, 15:00 Hrs. 30.11.2016, 15:00 Hrs.

11. सफल बोलीदाता को करार की अवधि हेतु वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रुप में रु. 1,00,00,000 (रूपए एक करोड़ केवल) प्रदर्शन जमानत राशि एजेंसी के नाम पर परंतु भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पक्ष मे मालबंधक (Hypothecated) करते हुए जमा करानी होगी। प्रदर्शन जमानत अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से साठ दिनों की अवधि तक के लिए मान्य होनी चाहिए।

12. निविदाकर्ता एजेंसियों कोअपनी तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित फोटोकापियां संलग्न करनी होंगी। विफल रहने पर बोली को सरसरी तौर पर / सिरे से खारिज कर दिया जाएगा और आगेकिसी प्रकार विचार नहीं किया जाएगा।

क	कंपनी अधिनियम /भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र ;
ख	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन(अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र;
ग	एजेंसी के पैन कार्ड की कॉपी (व्यक्ति का नहीं);
घ	एजेंसी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दायर आयकर विवरणीयों की प्रति (व्यक्ति द्वारा नहीं);
ड़	ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ;
च	ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;
छ	सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;
ज	पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदतठेकों की प्रतियां।
झ	बैंक द्वारा जारी पिछले तीन साल के बैंक खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि
ज़	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वर्षो के टर्नओवर विवरणी की प्रति
ट	शाखा कार्यालयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां ।
ठ	एजेंसी / फ़र्म द्वारा उपोरोक्त (ज) पर वर्णित ठेकों से संबन्धित कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई हो ;
ड	एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमे वार्षिक लेखा समाहित हो, यदि कोई हो

13. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा औरप्रथमतः ही तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

14. निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त स्थान है, एक अलग शीट विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न की जा सकतीहै।वित्तीय निविदा फार्म में ओवरराइटिंग या काटछाँट की अनुमति नहींहै। ऐसे मामलों में, निविदा कोसरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, तकनीकी बोली आवेदन में कटिंग, यदि कोई है, को निविदा बोलियों को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्यालय द्वारा अपेक्षितपूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले प्रारूप अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

16. निविदा का प्रत्येक पृष्ठबोलीदाता द्वारा या एजेंसी की मुहर के साथ उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

17. www.eprocure.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत तकनीकी बोली, निर्धारित तिथि तथा समय (25.11.2016 को 15:00 Hrs.) पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में एजेंसियों के प्रतिनिधियों, यदि कोई निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने का इच्छुक है, की उपस्थिति में ऑन लाईन खोली जाएंगी।

18. वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य पाये गए निविदाकर्ता की हीखोली जाएगी।

19. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खंड - 2: तकनीकी अर्हता मानदंड

निविदा करने वाली कार्मिक एजेंसी को निम्न क्रमानुसारतकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करना होगा :

(क) कार्मिक एजेंसी के पास केन्द्रीय / राज्य सरकार केविभागों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / बैंकों इत्यादि में कर्मियों की आपूर्ति करने का 3 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए। केन्द्रीय / राज्य सरकार केविभागों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / बैंकों इत्यादि मेंकर्मियों की आपूर्ति से संबंधित पिछले तीन साल के करारों संविदाओं के विवरण कार्य आदेश की सत्यापित प्रतियों सहित निविदा के साथ संलग्न किए जाए ।

(ख) कार्मिक एजेंसी का पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपए 15 करोड का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए। कारोबार विवरणकीचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई एक प्रति निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(ग) एजेंसी या तो एक कंपनी के रूप में या एक साझेदारी फर्म (सीमित दायित्व भागीदारी सहित) कंपनी अधिनियम,1956 अथवा साझेदरी अधिनियम के तहत, जैसा भी मम्ल हो पंजीक्रित होना चहिये।

(घ) एजेंसी के पास केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / बैंकों इत्यादि मेंकार्मिकों की आपूर्ति से संबंधित पिछले तीन वर्षों की अवधि में न्यूनतम 150 पूर्णकालिक कर्मियों की आपूर्ति करने का प्रमाणित कार्य निष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।

(ड़) एजेंसी के पासअपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक द्वारा जारी खाता विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए ।

(च) एजेंसी का (व्यक्तिगत नहीं) एक पैन नंबर होना चाहिए। पैन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(छ) एजेंसी (व्यक्ति नहीं) सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत होनीचाहिए। पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न की जाएगी ।

(ज) एजेंसी कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गतसंबन्धित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत होनीचाहिए। ईपीएफ और ईएसआईसी के पास पंजीकरण की प्रमाणित प्रतियां निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

(झ) एजेंसी काठेकाश्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1972 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।एजेंसी की पंजीकरण संख्या और लाइसेंस दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(त) जैसा कि एन.आई.टी. में निर्धरित है बिना बयाना जमा राशि के प्रस्तुत उननिविदाओं, जिन्हें छूट प्राप्त नहीं है, पर तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

खंड-3 : कार्य विवरण तथा तैनात किए जाने वाले कर्मियों से अपेक्षाएं

चयनित एजेंसी को कर्तव्यों, आयु मानदंड, पात्रता/आवश्यक योग्यताओं, वांछनीय योग्यताओं और कार्मिकों जैसे क्षेत्र अन्वेषक/क्षेत्र अधिकारी/प्रशासनिक स्टाफ के लिए अपेक्षित कार्य अनुभव के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए कर्मी उपलब्ध करवाने होंगे तथा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत तैनात कर्मियों को एजेंसी द्वारा मासिक पारिश्रमिक क्रमश तालिका क तथा तालिका ख के अनुसार दिया जाएगा जबकि यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्तों का भुगतान एन. एस. एस. ओ द्वारा तालिका-ख के अनुसार तैनात कर्मियों को सीधे किया जाएगा।

तालिका -क

पद का नाम	कर्तव्य	आयु सीमा	पात्रता/आवश्यक योग्यता	वांछनीय योग्यता/ अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	
क्षेत्र अन्वेषक	घरों/प्रतिष्ठानों से इलेक्ट्रानिक यंत्रों द्वारा कम्प्यूटर सहायक व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI) का प्रयोग करते हुए ग्रामीण/ शहरी प्रतिदर्शों पूर्व-अभिकल्पित अन्वेषण अनुसूचियों में विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकडे एकत्र करने का क्षेत्रीय कार्य ।	1 अक्तूबर 2016 को 30 वर्ष से अधिक नहीं। यद्यपि रा.प्र.स.का. के सर्वेक्षणों के लिए अनुबंध अन्वेषक के रुप में की गई सेवा की अवधि के समान वर्षों के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट देय है।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जिसमें सांख्यिकी /अर्थशास्त्र /गणित डिग्री स्तर पर एक प्रश्नपत्र के रुप में पढा हो। अथवा किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री तथा 12वी कक्षा गणित विषय में 60% अंकों सहित पास की हो। और (ख) अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान । (ग) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों जैसे एम.एस. आफिस इत्यादि की जानकारी सहित हस्त चालित उपकरणो द्वारा आंकडे सुगमता से फीड करने की सक्षमता हो ।	उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें सरकारी क्षेत्र/ लोक उपक्रमों के अन्तर्गत संचालित सांख्यिकीय सर्वेक्षणें के क्षेत्रीय कार्य का अनुभव हो।

क्षेत्र अधिकारी	सर्वेक्षण का विशेष पर्यवेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालयों /मुख्यालय से समन्वय करना, क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना। निरीक्षण नोट्स की जांच, अनुसूचियों की संवीक्षा तथा क्षे.का./ उप-क्षे कार्यालय/ अन्य विभागों से पत्राचार के कार्य को देखना।	1 अक्तूबर 2016 को 40 वर्ष की उम्र तक अथवा 1 अक्तूबर 2016 को 65 वर्ष की उम्र तक।	स्नातक स्तर पर सांख्यिकी एक प्रश्नपत्र के साथ किसीभी विषय में स्नातक की डिग्री तथा केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/पी एस यू / बैंक/ प्राईवेट कंपनियों में सर्वेक्षण संबंधी कार्य कम से कम 2 वर्षों का अनुभव तथा कम्प्यूटर का अच्छा कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी। अथवा केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पी एस यू में न्यूनतम रू. 4600/- ग्रेड पे वाले ग्रुप-बी (राजपत्रित) पद से सेवा निवृत्त तथा कम्प्यूटर का अच्छा कार्य अनुभव रखने वाले सांख्यिकी अधिकारी। सेवा निवृत्त सांख्यिकी अधिकारी जिन्होंने बैक /पी.एस.यू. में समकक्ष वेतन पर कार्य किया है, उन पर भी विचार किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पी एस यू में पर्यवेक्षकीय स्तर पर सांख्यिकी कार्य में अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अथवा सांख्यिकी क्षेत्र मे आंकडा संग्रहण/पर्यवेक्षण में अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रशासनिक स्टाफ	प्रभाग से संबंधित प्रशासनिक कार्य ।	1 अक्तूबर 2016 को 40 वर्ष के उम्र तक। अथवा	टंकण./ आशुलिपि में बहुत अच्छी प्रवीणता के साथ बारहवीं या हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण (40 शब्द प्रति मिनिट टंकण हेतु / 80 शब्द प्रति मिनिट आशुलिपिक हेतु) अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सेकिसी भी विषय मे स्नातक डिग्री। टंकण तथा आशुलिपि दोनो में प्रवीण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अथवा

		1 अक्तूबर 2016 को 65 वर्ष के उम्र तक।	कम्पयूटर के अच्छे ज्ञान के साथ केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पी एस यू में प्रवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष(ग्रेडपे 2400/-) के स्तर से सेवानिवृत्त ।	सहायक/उच्चतर स्तरों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

तालिका - ख

पद का नाम	**मासिक पारिश्रमिक (रु.)**	**यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता**
क्षेत्र अन्वेषक	16500/-	(क) साधारण/एक्सप्रेस टेन द्वारा स्लीपर क्लास या साधारण/एक्सप्रेस बस से बस भाडा या वास्तविक किराया जो भी कम हो,टिकट प्रस्तुत करने की शर्त पर तथा (ख) दैनिक भत्ता प्रतिदिन रुपए 150/- (सामान्य)प्रति दिन तथा रु. 350/- (होटल में ठहरने की स्थिति मे)
क्षेत्र अधिकारी	17600/-	(क) साधारण/एक्सप्रेस टेन द्वारा स्लीपर क्लास या साधारण/एक्सप्रेस बस से बस भाडा या वास्तविक किराया जो भी कम हो,टिकट प्रस्तुत करने की शर्त पर तथा (ख) दैनिक भत्ता प्रतिदिन रुपए 250/- (सामान्य)प्रति दिन तथा रु. 500/- (होटल में ठहरने की स्थिति मे)
प्रशासनिक स्टाफ	12100/-	(क) साधारण/एक्सप्रेस टेन द्वारा स्लीपर क्लास या साधारण/एक्सप्रेस बस से बस भाडा या वास्तविक किराया जो भी कम हो,टिकट प्रस्तुत करने की शर्त पर तथा (ख) दैनिक भत्ता प्रतिदिन रुपए 150/- तथा होटल में रहने के लिए रु. 350/-

(*) मासिक पारिश्रमिक में कर्मचारी के कर्मचारी भविष्यनिधि (ई.पी.एफ.) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हिस्से शामिल हैं। अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया तो पारिश्रमिक संशोधित किया जा सकता है।

खण्ड - 4: निविदा के मूल्यांकन के लिए मानदंड

1. तकनीकी रूप से योग्य निविदाओं की वित्तीय निविदाओं को खोला जाएगा।

2. एजेंसी का निर्धारण करने के लिए अंतिम मूल्यांकन “निविदा तकनीकी मूल्याकन समिति” द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

3. न्यूनतम निविदाकर्ता का निर्धारण कालम 3 के आधार पर **वित्तीय बोली दस्तावेज में दर्शाए गए "प्रति माह प्रति व्यक्ति एजेंसी का सेवा प्रभार" (संदर्भ-: वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा 6) के अनुसार किया जाएगा।**

भाग -5: तकनीकी बोली हेतु प्रपत्र

1	एजेंसी का नाम	
2	एजेंसी का प्रोफ़ाइल	
3	प्रोपराइटर / एजेंसी के निदेशक का नाम	
4	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
	a. दूरभाष नं b. फ़ैक्स नं c. ई-मेल आईडी	
5	प्रचालन / शाखा कार्यालय का पूरा पता	
	a. दूरभाष नं b. फ़ैक्स नं c. ई-मेल आईडी	
6	एजेंसी के बैंकर (banker) का पूरा पता (3 वर्ष के एकाउंट स्टेटमेंट की सत्यापित प्रतियां जो कि बैंक द्वारा जारी की गयी, संलग्न करें)	
	बैंकर का दूरभाष नं	
7	क्या कंपनी या साझेदारी फ़र्म के रूप मे पंजीकृत है (एलएलपी सहित) कंपनी एक्ट 1956 या पार्टनर्शिप एक्ट जो भी हो (पंजीकरण की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें)	
8	एजेंसी का पंजीकरण एवं लाइसेन्स नं ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1972के अंतर्गत (सत्यापित संबंधित प्रतियाँ संलग्न करें)	
9	कंपनी का PAN नं (एजेंसी के PAN कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
10	सेवा कर (service tax) पंजीकरण नं (पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
11	ईपीएफ़ पंजीकरण नं (पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
12	ईएसआईसी पंजीकरण नं (पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
13	केन्द्रीय / राज्य सरकार / पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ऐसे संस्थाओ / कार्यालयो की **सूची** जिन्हें एजेंसी द्वारा	

	150 या अधिक कार्मिक को पिछले 3 वर्षों मे फुल टाइम दिया हो (प्रमाण हेतु दस्तावेज़ संलग्न करें)	

* एजेंसी के प्रदर्शन से संबंधित अपेक्षित प्रमाणपत्र संलग्न करें, यदि कोई हो ।

14. पिछले तीन वर्षों की एजेंसी की वित्तीय कारोबार (चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित पिछले तीन वित्तीय वर्षों की जमा की गयी आईटी रिटर्न एवं टर्नओवर स्टेटमेंट की प्रतियाँ संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	धनराशि (करोड़ों में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
2013-14		
2014-15		
2015-16		

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

15	शहरों/ स्टेशन एवं राज्यों की सूची जहाँ कर्मियों की आपूर्ति की गयी (प्रमाणन हेतु दस्तावेज़ संलग्न करें)	

16. एजेंसी के कर्मचारियों की वर्षवार संख्या (प्रमाणन हेतु दस्तावेज़ संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या
2013-14	
2014-15	
2015-16	
2016-17 (1st जुलाई, 2016 को)	

17. निम्न प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मियों को प्रदान करने संबंधी निविदा एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ किये गए अनुबंधों का विवरण (पिछले तीन साल से कार्य पुरस्कार की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जा सकती है) :

क्रम सं	**ग्राहक का ब्यौरा पता, टेलीफोन और फैक्स नंबरसहित**	**अनुबंध की राशि (लाख रुपये में)**	**अनुबंध की अवधि**		**अनुबंध की प्रकृति**		**टिप्पणी, यदि कोई हो**
			से	**तक**	**प्रदत्त कर्मियों का प्रकार**	**तैनात व्यक्तियों की संख्या**	
1							
2							

3							
4							
5							

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

18. अखिल भारतीय स्तर पर कर्मियों की आपूर्ति के लिए फर्म / एजेंसी तथा क्षेत्रीय केंद्र / कार्यालयों पर यदि कोई हो तो उनमे उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विवरण:

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक - नाम -

स्थान - मुहर -

घोषणा

1. मैं, ________________________________ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री______________________ जो कि पार्टनर / निदेशक / एजेंसी मेसर्स ____के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ, इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ।
2. मैंने निविदा के सभी नियमएवं शर्तों को समझा एवं ध्यान से पढ़ा है और उनके पालन हेतु वचन बद्ध हूँ ।
3. उपरोक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना / दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मैं / हम इस तथ्य से अवगत हूँ/हैं कि गलत जानकारी / गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने परकिसी भी स्तर पर निविदा को अस्वीकृत करने के अतिरिक्त मेरे/हमारे विरुद्ध संबन्धित कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनाँक -   नाम -

स्थान -   मुहर -

<u>ईएमडी / प्रदर्शन सेक्युर्टी की गैर-जब्ती का प्रमाण पत्र</u>

मैं, ... प्रमाणित करता हूँ कि मेरी एजेंसी मेसर्स .... की अतीत में भाग लेने या किसी भी केन्द्रीय / राज्य सरकार / पीएसयू के किसी भी कार्यालय से किसी भी कार्य आदेश को क्रियान्वित करते समय न तो ईएमडी और न ही प्रदर्शन की गारंटी जब्त की गयी है ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनाँक - नाम -

स्थान - मुहर -

खंड 6 - वित्तीय बोली (Financial Bid) हेतु प्रपत्र

करार की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में एजेंसी द्वारा रखे जाने वाले कार्मिकों को दिये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक की दर का निर्धारण एन. एस. एस. ओ. द्वारा किया जा चुका है। एजेंसियों से निम्नलिखित प्रपत्र में बोली प्रस्ताव देना अपेक्षित हैः-

क्रम सं.	**कार्मिकों की श्रेणी / संख्या**	**प्रति कर्मी प्रति माह एजेंसी का सेवा शुल्क**	**टिप्पणी**
1	**2**	**3**	**4**
1.	क्षेत्र अन्वेषक : 612 क्षेत्र अधिकारी : 45 प्रशासनिक कर्मी : 58		

***एजेंसियों से केवल आऊटसोर्सिंग प्रबंधन मूल्य देने की अपेक्षा है जिसमें प्रशासनिक/ प्रबंधन खर्चे/ उपरिव्यय/ अन्य खर्चे इत्यादि शामिल हैं। इसमें सभी लागू कर जोकि एजेंसी द्वारा देय होंगे, शामिल होने चाहिए। आऊटसोर्सिंग प्रबंधन दर कर्मियों को दिये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त वह खर्चें हैं जिनमें नियोक्ता द्वारा वहन किये जाने वाले ई.पी.एफ/ ई. एस. आई. सी. शामिल हैं, जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के खंड 3 में वर्णित है। सेवा शुल्क की राशि प्रत्येक कर्मी हेतु तैनाती के स्थान एवं कर्मियों की श्रेणी के निरपेक्ष एक नियत दर होनी चाहिए।**

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम_______________

पदनाम_______________

दिनांकः **एजेंसी का पूरा नामः_______________**

मोहरः_______________

खंड 7 - नियम और शर्तें

सामान्य

1. प्रारंभ में करार केवल एक (1) वर्ष के लिये होगा, जोकि जनवरी, 2017 से शुरू होने की संभावना है। एजेंसी द्वारा प्रदत्त कार्य निष्पादन के आधार पर करार के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है। तथापि, एन. एस. एस. ओ. (प्रथम पक्ष), सेवा में कमी, कर्मियों की अवमानक गुणवत्तातथा करार में भंजन आदि कारणों से संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी (द्वितीय पक्ष) के साथ करार को एक माह के नोटिस द्वारा समाप्त कर सकता है/ घटा सकता है।
2. संबंधित एजेंसी को एन. एस. एस. ओ. की लिखित सहमति के बिना करार में उल्लिखित अधिकारों एवम् जिम्मेदारियों के अन्तरण, निर्दिष्टीकरण, बंधक-करण या उपकरार की अनुमति नहीं होगी।
3. वर्तमान में एन. एस. एस. ओ. को अनुलग्नक 1 एवम् 2 में वर्णित श्रमबल की आवश्यकता है। श्रमबल का आंकलन इस निविदा के मूल्यांकन हेतु अनुमानित है, तथापि श्रमबल की वास्तविक आवश्यकता समय-समय पर सर्वेक्षण की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप घट या बढ़ सकती है।
4. बोलीदाता निविदा या किसी उत्तरवर्ती चरण में उनके द्वारा वर्णित विवरणों को मानने के लिये बाध्य होंगे। किसी भी स्तर पर यदि उनके द्वारा दिया गया दस्तावेज असत्य पाया जाता है, तो इसे करार की शर्तों का भंजन माना जाएगा तथा ऐसे बोलीदाता के विरुद्ध करार समाप्ति के अतिरिक्त कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

तैनात कर्मियों के संबंध में नियंत्रण,उत्तरदायित्व इत्यादि

5. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मी जिसे उसने एन. एस. एस. ओ. में तैनात किया है, वह तकनीकी रूप से आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव जैसा कि संविदा के खंड 3 में वर्णित है के अनुसार योग्य है।
6. एन. एस. एस. ओ. केन्द्रीय सरकार का एक कार्यालय है तथा सप्ताह में पांच कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 9.30 से सांयः 18.00, जिसमें की 1.30 से 2.00 तक आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, कार्य करता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषिंत राजपत्रित अवकाशों का अनुपालन भी करता है। तथापि, क्षेत्र कार्य हेतु कार्य के घंटों का पुनर्निधारण क्षेत्र कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर सकता है तथा कार्मिक को यदा-कदा सप्ताहांत या छुट्टी के दिनों में कार्य हेतु बुलाया जा सकता है। इस तरह के यदा-कदा कार्यों हेतु किसी प्रकार का प्रतिपूरक अवकाश या भत्ता नहीं दिया जायेगा।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व द्वितीय पक्ष सभी संबंधित कर्मियों, जिन्हें उसने क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया है के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगाः-
    a. तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची।
    b. प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-वृत्त के साथ शिक्षा/ व्यवसायिक योग्यताओं इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्र।
    c. मैट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
    d. प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस द्वारा सत्यापन का प्रमाणपत्र।
    e. पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी जैसे कि आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता विवरण, निवास का प्रमाण तथा व्यक्ति का हाल ही का छायाचित्र।
    f. स्वास्थ्य के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष सक्षम मेडिकल प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
8. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मी स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हैं। कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अनुपयुक्ता की सूचना संबंधित कार्यालय से मिलने पर ऐसे कर्मियों को तत्काल प्रभाव से वापिस लेगा।
9. द्वितीय पक्ष सभी कर्मियों को छाया चित्र लगे पहचान पत्र जारी करेगा।
10. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात सभी कर्मी एन. एस. एस. ओ. कार्यालयों में अपेक्षित आचरण रखें। द्वितीय पक्ष द्वारा तैनात किसी भी कर्मी द्वारा एन. एस. एस. ओ. की सम्पत्ति की किसी प्रकार के नुकसान/ हानि की स्थिति में द्वितीय पक्ष या तो ऐसी क्षति या हानि, जोकि एन. एस. एस. ओ. द्वारा

निर्धारित की जाएगी, की भरपाई हेतु ज़िम्मेदार होंगे या इसे उनके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन गारंटी/ देय मासिक भुगतान से वसूल किया जाएगा।

11. द्वितीय पक्ष द्वारा एन. एस. एस. ओ. में रखे गया कार्मिक विनम्र, मैत्रीपूर्ण, कार्य के प्रति सकारात्मक तथा सक्षम होना चाहिए। द्वितीय पक्ष द्वारा तैनात कर्मी यदि किसी प्रकार की चूक/ कृत्य जोकि दुराचरण/ अनुशासनहीनता/ अक्षमता की श्रेणी में आता है में संलिप्त पाये जाने पर उसके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा जिसमें एन. एस. एस. ओ. द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर ऐसे कर्मी को साइट से हटाना भी शामिल है।
12. एन. एस. एस. ओ. के संबंधित कार्यालय द्वारा सुरक्षा कारणों, अक्षमता, वैचारिक भिन्नता, अनुचित व्यवहार इत्यादि की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष कर्मी को तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित करेगा। उपयुक्त प्रतिस्थापन में पांच दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा ₹ 1,000 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के हिसाब से जुर्माना देय होगा।
13. एन. एस. एस. ओ. कार्यालयों में एक बार तैनात किये गये कर्मियों को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक पक्षीय रूप से बदला नहीं जायेगा, जब तक कि इस संबंध में संबंधित कार्यालय द्वारा विशेष सहमति/अनुरोध न किया गया हो।
14. द्वितीय पक्ष एफ. ओ. डी. मुख्यालय (एन. एस. एस. ओ.) तथा संबंधित राज्य की राजधानियों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकर्ता नामित करेगा जोकि तैनात कर्मियों के मामले में बिलों के प्रस्तुतीकरण, वैधानिक प्राधिकारियों से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण/ अदायगी तथा समय से कार्मिकों के प्रतिस्थापन हेतु द्वितीय पक्ष तथा एन. एस. एस. ओ. के बीच समन्वय करेंगे। समन्वयकर्ता तैनात कर्मियों की एफ. ओ. डी. मुख्यालय तथा विभिन्न राज्यों में तैनात कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भी उत्तरदायी होंगे।
15. विभिन्न कारणों जैसे बीमारी, व्यक्तिगत कारणों से काम छोड़ने इत्यादि की स्थिति में कार्मिक की अनुपस्थिति पांच या अधिक दिन होने पर द्वितीय पक्ष कार्मिक का तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापन करेगा। प्रतिस्थापन में पांच दिन से अधिक की देरी होने पर द्वितीय पक्ष ₹ 1,000 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के हिसाब से जुर्माना हेतु बाध्य होगा।
16. कार्मिक द्वारा एन. एस. एस. ओ. के ऑफिस के कार्यालय में जॉइन करते समय यातायात, भोजन तथा मेडिकल संबंधी आवश्यकता द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी, एन. एस. एस. ओ. की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत एन. एस. एस. ओ. में नियोजित एवम् तैनात श्रमबल के संबंध में सभी प्रयोजनों, उद्देश्यों हेतु द्वितीय पक्ष नियोक्ता माना जाएगा। द्वितीय पक्ष द्वारा तैनात कर्मी एन. एस. एस. ओ. पर मालिक और सेवक संबंध का दावा नहीं कर सकेंगे।
18. द्वितीय पक्ष विभिन्न शिकायतों/ विवादों के निपटान हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
19. एन. एस. एस. ओ. किसी भी कर्मी के संबंध में कार्य के दौरान किसी वित्तीय घाटे या अन्य नुकसान के भुगतान या क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा तैनात व्यक्ति करार के दौरान या करार के उपरांत एन. एस. एस. ओ. में नियमित/ स्थायी रूप से तैनात कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का न तो दावा कर सकते हैं न ही देय होगा।
21. इस करार के पूर्ण होने या अन्य स्थिति में करार की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष द्वारा तैनात व्यक्ति एन. एस. एस. ओ. में नियमित या अन्य रूप में किसी प्रकार के पुनरारंभ/अवशोषण का दावा नहीं कर सकेंगे।
22. छुट्टियों की सुविधाः करार पर रखे गए कर्मियों को छुट्टियों की सुविधा इस संबंध में भारत सरकार के नियमानुसार होगी।

कानूनी

23. द्वितीय पक्ष एन. एस. एस. ओ. में तैनात किए गए सभी कर्मियों के संबंध में सभी वैधानिक प्रावधानों जैसे कि न्यूनतम मज़दूरी, भविष्य निधि और कार्मिक राज्य बीमा, सेवा कर इत्यादि के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

24. द्वितीय पक्ष, एन. एस. एस. ओ. को उसके द्वारा मुहैया करायी गयी सेवाओं के अन्तर्गत, संबंधित कर संग्रहण प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर प्रचलित नियमों तथा विनियमों के अनुसार सभी कर, उपकर इत्यादि जमा कराने के उत्तरदायी होंगे। यदि द्वितीय पक्ष किसी भी वैधानिक/ विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कर संबंधी जिम्मेदारी का अनुपालन करने में विफल रहता है जिसके कारण एन. एस. एस. ओ. को किसी प्रकार की मौद्रिक या अन्य प्रकार की क्षति/ नुकसान वहन करनी पड़े, ऐसी स्थिति में राशि एन. एस. एस. ओ. द्वारा एजेंसी के मासिक बिल से काट ली जाएगी या क्षति/ नुकसान की राशि निष्पादन सिक्योरिटी से समायोजित की जाएगी।
25. द्वितीय पक्ष वैधानिक रूप से आवश्यक सभी रजिस्टरों का रख-रखाव करेगा। ऐसे रजिस्टर मांगे जाने पर द्वितीय पक्ष एन. एस. एस. ओ. के प्राधिकारियों एवम् कानून के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारियों को दिखाएगा।
26. आयकर विभाग/ अन्य विभागों के प्रावधानों के समय समय पर संशोधित नियमानुसार कर की स्त्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र एन. एस. एस. ओ. द्वारा द्वित्तीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।
27. प्रथम पक्ष एवम् द्वितीय पक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद दिल्ली में स्थित न्यायालयों के विचाराधीन होगा।

वित्तीय

28. इच्छुक एजेंसियां, उनके सिवाय जोकि केन्द्रीय क्रय संगठन (CPO), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) या सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में पंजीकृत हों,पूर्ण रूप से भरी अपनी निविदाएं ₹ 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र/-) के बयाना जमा जोकि बिना ब्याज लौटाए जाने वाले बैंक ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर, फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद, बैंकर्स चैक या स्वीकार्य प्रपत्र पर किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी जोकि PAO, MOSPI, नई दिल्ली के पक्ष में आहृत किया गया हो या PAO, MOSPI, नई दिल्ली के पक्ष में रेहननामा किया गया हो जमा करायें अन्यथा संविदा सिरे से अस्वीकार कर दी जाएगी।
29. जिन एजेंसियों को तकनीकी बोली (पहला चरण) / वित्तीय बोली (द्वितीय प्रतियोगी चरण) में योग्य नहीं पाया जाएगा, उनका बयाना जमा (ईएमडी) बिना किसी देय ब्याज के वित्तीय बोली खुलने के 30 दिन के अंदर लौटा दिया जाएगा।
30. द्वितीय पक्ष को एन. एस. एस. ओ. के साथ ठेका देने वाले पत्र में इंगित समयावधि के अन्दर एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष देय समयावधि में एग्रीमेंट साइन करने में विफल रहता है तो उसकी ईएमडी बिना किसी नोटिस के ज़ब्त मानी जाएगी।
31. सफल निविदाकर्ता ₹ 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) निष्पादन गारंटी के रूप में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद एजेंसी के नाम परंतु PAO, MOSPI, नई दिल्ली को बंधक हो, जमा करानी होगी। निष्पादन गारंटी की वैधता करार समाप्ति के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।
32. करार के किसी शर्त के भंजन अथवा लापरवाही अथवा नियम एवम् शर्तों की अनदेखी अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन अथवा कार्य आदेश अस्वीकार करने की स्थिति में प्रथम पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पादन गारंटी ज़ब्त की जा सकती है।

भुगतान की शर्तें

33. द्वितीय पक्ष मासिक बिलों को तीन प्रतियों में आगामी पैरा में वर्णित प्रमाणपत्रों के साथ जमा करायेंगे, जिनको संबंधित कार्यालय प्रभारी द्वारा सत्यापन के उपरांत यदि कोई वसूली हो उसे समायोजित कर 15 दिनों में भुगतान किया जाएगा।
34. आयकर विभाग/ अन्य विभागों के प्रावधानों के समय समय पर संशोधित नियमानुसार कर की स्त्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र एन. एस. एस. ओ. द्वारा द्वित्तीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।

35. द्वितीय पक्ष नियमित रूप से वेतन तथा अन्य भुगतान तैनात कर्मी को पूर्ण रूप से कर जब भी आवश्यक होगा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। कर्मियों को भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा आगामी माह की 15 तारीख या उससे पहले करना होगा। यदि आगामी माह का 15वां दिवस छुट्टी हो तो अदायगी उससे पूर्व कार्यदिवस पर की जानी चाहिए।
36. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा एन. एस. एस. ओ. में तैनात कर्मी का वेतन उसके बैंक अकाऊंट में किया जाए तथा बैंक अकाऊंट की प्रति अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
37. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इत्यादि द्वारा जारी चालान/ रसीद यह प्रमाणित करने हेतु कि लागू भविष्य निधि, ई. एस. आई. तथा अन्य वैधानिक देय जमा करा दिये गये हैं, अगले माह के भुगतान बिलों के साथ जमा करानी होगी। अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा पंजीकृत चार्टर्ड अकांऊंटेंट के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर एक प्रमाणपत्र देना होगा कि सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा चुका है। किसी चूक की स्थिति में एन. एस. एस. ओ. संबंधित राशि की कटौती के उपरांत ही द्वितीय पक्ष को भुगतान जारी करेगा।
38. एन. एस. एस. ओ. द्वारा किसी तैनात कर्मी से यह शिकायत मिलने पर की उसकी वेतन अदायगी नहीं की गयी है, सत्यता की जांच के उपरांत कर्मी को देय राशि द्वितीय पक्ष से वसूल कर कर्मी को भुगतान की जाएगी।

खंड 8 - तकनीकी बोली के साथ जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1.	कंपनी अधिनियम / भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र
2.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र
3.	एजेंसी के पैन कार्ड की प्रति (व्यक्तिगत पैन नहीं)
4.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु जमा कराए गए आयकर की विवरणियों की प्रति (व्यक्तिगत विवरणी नहीं)
5.	ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
6.	ई. एस. आई.सी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
7.	सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
8.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ बैंक/ जानी-मानी निजी कंपनियों के साथ किये गये करारों की प्रति
9.	पिछले तीन वर्षों से संबंधित बैंक अकाऊंट की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति
10.	चार्टर्ड अकाऊंटेंट द्वारा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर को दर्शाती हुई सत्यापित प्रति
11.	देश के विभिन्न शहरों/ स्थानों पर श्रमबल आपूर्ति के संबंध में दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति
12.	उपरोक्त ‘8’ पर वर्णित संगठनों/ फर्मों द्वारा कार्य निष्पादन के संबंध में जारी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
13.	एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी के वार्षिक लेखा हो (यदि कोई हो)

खंड 9 – सफल एजेंसी द्वारा श्रमबल तैनाती के पूर्व उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. श्रेणीवार, एजेंसी द्वारा सत्यापन/ तैनाती हेतु भेजे गए व्यक्तियों की सूची जिसमें कि जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, पता इत्यादि शामिल हैं।
2. सभी व्यक्तियों का जीवन-वृत्त, आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यताओं के प्रमाण के साथ।
3. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन से संबंधित प्रमाणपत्र।
4. पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाऊंट डिटेल्स, निवास का प्रमाण तथा एजेंसी द्वारा भेजे गए व्यक्ति का हाल का ही छाया चित्र।
5. सक्षम मेडिकल प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र।
6. एजेंसी द्वारा जारी पत्र जिसमें समन्वयकर्ता का नाम, पदनाम, दूरभाष तथा ई-मेल इंगित किया गया हो।

Annexure-I

Offices where contractual Personnel (Field Investigator and Field Officer) are required

Sl. No.	Regional Office	No. of Personnel Required	
		FI	FO
1	Jammu	9	1
2	Srinagar	12	1
3	Shimla	10	1
4	Jalandhar	11	0
5	Mohali	10	1
6	Chandigarh	19	1
7	Dehradun	11	1
8	Delhi	9	0
9	Ajmer	10	1
10	Jaipur	15	1
11	Agra	11	1
12	Allahabad	17	1
13	Bareilly	10	1
14	Lucknow	12	1
15	Muzaffarpur	14	1
16	Patna	10	1
17	Gangtok	3	1
18	Kohima	6	0
19	Shillong	7	1
20	Dibrugarh	8	0
21	Guwahati	10	1
22	Burdwan	14	1
23	Kolkata	15	1
24	Malda	10	1
25	Ranchi	16	1
26	Bhubaneswar	12	1
27	Sambalpur	8	1
28	Raipur	13	1
29	Bhopal	9	1
30	Gwalior	10	1

Sl. No.	Regional Office	No. of Personnel Required	
		FI	FO
31	Jabalpur	9	1
32	Ahmedabad	11	1
33	Baroda	12	1
34	Aurangabad	12	1
35	Mumbai	14	1
36	Nagpur	11	1
37	Pune	14	1
38	Cuddapah	12	1
39	Hyderabad	19	1
40	Vijayawada	11	0
41	Bangalore	14	1
42	Hubli	12	1
43	Goa	4	1
44	Thiruvananthapuram	14	1
45	Kozhikode	14	1
46	Chennai	18	1
47	Coimbatore	15	1
48	Madurai	15	1
49	Port Blair	4	1
Manpower requirement in States with no FOD Regional Offices but controlled by other Regional Offices of FOD			
Arunachal Pradesh		9	1
Manipur		16	0
Mizoram		11	0
Tripura		10	0
TOTAL		**612**	**45**

Annexure-II

Offices where contractual Administrative Staff are required

Sl. No.	Regional Office / FOD Hqrs.	No. of Personnel Required
1	Jammu	1
2	Srinagar	1
3	Shimla	1
4	Jalandhar	1
5	Mohali	1
6	Chandigarh	1
7	Dehradun	1
8	Delhi	1
9	Ajmer	1
10	Jaipur	1
11	Agra	1
12	Allahabad	1
13	Bareilly	1
14	Lucknow	1
15	Muzaffarpur	1
16	Patna	1
17	Gangtok	1
18	Kohima	1
19	Shillong	1
20	Dibrugarh	1
21	Guwahati	1
22	Burdwan	1
23	Kolkata	1
24	Malda	1

Sl. No.	Regional Office / FOD Hqrs.	No. of Personnel Required
25	Ranchi	1
26	Bhubaneswar	1
27	Sambalpur	1
28	Raipur	1
29	Bhopal	1
30	Gwalior	1
31	Jabalpur	1
32	Ahemdabad	1
33	Baroda	1
34	Aurangabad	1
35	Mumbai	1
36	Nagpur	1
37	Pune	1
38	Cuddapah	1
39	Hyderabad	1
40	Vijayawada	1
41	Bangalore	1
42	Hubli	1
43	Goa	1
44	Thiruvananthapuram	1
45	Kozhikode	1
46	Chennai	1
47	Coimbatore	1
48	Madurai	1
49	Port Blair	1
50	FOD Hqrs, New Delhi	9
TOTAL		**58**